रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1507] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2014/आषाढ़ 30, 1936
No. 1507] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2014/ASADHA 30, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

(बीसी प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

का.आ. 1874(अ).—यतः भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पिछड़ा वर्ग प्रभाग) में भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) असाधारण में प्रकाशित संकल्प संख्या 16014/2/2014-बीसी-III, दिनांक 12.2.2014 के तहत विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजाति आयोग का गठन किया है ।

2. तथा यतः केंद्र सरकार उक्त आयोग में अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव की अर्हता, नियुक्ति के ढंग, इसके कार्यालय में किसी रिक्ति को भरने, पद त्याग तथा पद से हटाने, कार्यकाल तथा वेतन एवं भत्ते इत्यादि के संबंध में उपरोक्त संकल्प के अतिरिक्त कतिपय दिशा निर्देश विनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझती है ।

3. <u>अर्हता</u>

(i) अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव की नियुक्ति योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से की जाएगी ।

(ii) अध्यक्ष की नियुक्ति विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों से संबंधित विख्यात व्यावसायिकों में से की जाएगी, जो अपने व्यक्तित्व से तथा निष्काम सेवा भाव से लक्षित समूह में विश्वास पैदा कर सके ।

(iii) सदस्य की नियुक्ति डीएनबी का समुचित ज्ञान रखने वाले तथा डीएनबी के कल्याण हेतु कार्य करने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी ।

(iv) अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के लिए न्यूनतम अर्हता किसी विधा में स्नात्तक डिग्री है ।

(v) अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष है ।

(vi) अध्यक्ष और सदस्य का कोई आपराधिक रिकार्ड न हो ।

(vii) सदस्य सचिव, भारत सरकार का सेवा निवृत्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव होना चाहिए ।

4. कार्यकाल

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य भारत के राजपत्र में दिनांक 12.2.2014 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में तीन वर्ष के लिए कार्यभार संभालेंगे ।

5. वेतन और भत्ते

(क) पदस्थिति, वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं जिसमें अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के लिए आवास शामिल है, का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन यह सचिव, भारत सरकार के स्तर से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) यदि किसी उच्चत्तम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य, इनके द्वारा पूर्व में धारित पद के आधार पर उच्चत्तम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए देय वेतन के पात्र होंगे ।

(ग) यदि भारत सरकार के सेवानिवृत्त व्यक्ति अथवा किसी अन्य संस्था अथवा स्वायत्त शासी निकाय के सेवानिवृत्त व्यक्ति तथा अपनी पिछली सेवा से पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति को अध्यक्ष, सदस्य अथवा सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उनके लिए इन नियमों के अंतर्गत देय वेतन सचिव, भारत सरकार के लिए देय वेतन एवं भत्तों के बराबर होगा । इसमें उनकी पेंशन की राशि शामिल नहीं होगी तथा यदि वह आंशिक पेंशन प्राप्त करते हैं तो इसका परिवर्तित मूल्य आंशिक पेंशन की राशि के बराबर होगा ।

(घ) जब कभी अध्यक्ष, कोई सदस्य अथवा सदस्य सचिव संसद का अथवा किसी राज्य विधायिका का सदस्य हो वह संसद (अयोग्यता का निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के उपबंध (क) में परिभाषित अन्य भत्तों के अलावा किसी पारितोषिक का हकदार नहीं होगा अथवा यथा-स्थिति भत्तों के अलावा, यदि कोई हों, जिसे राज्य विधायिका का कोई सदस्य राज्य विधायिका की सदस्यता हेतु अयोग्यता निवारण से संबंधित राज्य में फिलहाल लागू किसी कानून के तहत, ऐसी अयोग्यता के बिना प्राप्त करता है ।

(ङ) जहां उपर्युक्त खंड 5(ख) और 5 (ग) लागू नहीं होते हैं, सचिव, भारत सरकार को देय वेतन एवं भत्ते तो आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव को भी देय होंगे ।

6. अवकाश

अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव निम्नानुसार अवकाश के लिए पात्र हैं:-

(क) अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और परिवर्तित अवकाश समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली 1972 के अनुसार होंगे ।

(ख) असाधारण अवकाश भी देय होगा ।

7. चिकित्सा सुविधाएं

अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के लिए चिकित्सा सुविधाएं सचिव, भारत सरकार के लिए लागू चिकित्सा सुविधाओं के समान होंगी ।

8. स्थायी अथवा अस्थायी रिक्तियों के मामले में व्यवस्था

यदि अध्यक्ष पद रिक्त होता है अथवा अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है अथवा अपने कार्यालय कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हैं, तब नए अध्यक्ष द्वारा कार्यभार संभालने अथवा मौजूदा अध्यक्ष द्वारा अपना कार्यभार संभालने तक जैसा भी मामला हो, इन कर्त्तव्यों का निर्वहन सदस्य द्वारा किया जाएगा ।

9. त्यागपत्र और पद से हटाना

(क) अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव राष्ट्रपति को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है ।

(ख) राष्ट्रपति आदेश द्वारा अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव को पद से हटा सकता है यदि;

(i) उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; अथवा

(ii) उन्हें अपने कार्यकाल में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य सवेतन रोजगार में लिप्त पाया गया हो; अथवा

(iii) वे राष्ट्रपति की राय में मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अयोग्य होने के कारण पद पर बने रहने में अक्षम हो; अथवा

(iv) किसी अपराध में अपराधी घोषित हुए हों; अथवा जेल हुई हो जो राष्ट्रपति की राय में नैतिकता का हनन हो; अथवा

(v) कार्य करने से इंकार किया हो; अथवा

(vi) अवकाश प्राप्त किए बगैर आयोग से अनुपस्थित रहे हों, आयोग की तीन बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हों; अथवा

(vii) राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष पद अथवा सदस्य पद का दुरूपयोग किया हो तथा उन्हें जारी रखना आयोग के हितों के लिए हानिकारक हो ।

बशर्ते कि अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव को इस मामले में उनका पक्ष सुनने के लिए एक यथोचित अवसर प्रदान किए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा ।

[फा.सं. 16014/5/2014-बीसी-III]

बी.एल. मीणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

(BC Division)

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2014

S.O. 1874 (E).– Whereas the Government of India in the Ministry of Social Justice & Empowerment (Backward Classes Division) has constituted a National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (NCDNT) for 3 (three) years for improving the socio-economic conditions of the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes vide the Resolution No.16014/2/2014-BC-III dated 12.02.2014 published in Gazette of India, Part II, Section-3, sub-section (ii) Extraordinary.

2. And whereas the Central Government considers it necessary to specify certain guidelines in addition to the aforesaid Resolution with regard to the qualification, method of appointment of the Chairperson, Member and Member Secretary, filling up of any vacancy in office thereof, resignation and removal, the terms of office and salary and allowances etc. in the said Commission.

3. Qualification

(i) The Chairperson, Member and Member Secretary shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing.

(ii) The Chairperson shall be appointed from amongst eminent professionals belonging to the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, who inspires confidence amongst the target groups by his/her personality and record of selfless service.

(iii) The Member shall be appointed from amongst persons who has sound knowledge of DNTs and has also worked for the welfare of DNTs.

(iv) The minimum qualification for Chairperson, Member and Member Secretary shall be Graduate degree in any discipline.

(v) The minimum age for the Chairperson will be 50 years.

(vi) The Chairperson and Member will not have a criminal record.

(vii) Member Secretary will be either a retired Secretary/Special Secretary/ Additional Secretary of the Government of India.

4. Term of Office

The Chairperson and every Member shall hold office for a term in accordance with the notification published in the Gazette of India dated 12.02.2014 which is for three years.

5. Salaries and Allowances

(a) The status, salaries, allowances and other facilities including accommodation of the Chairperson, Member and Member Secretary shall be as determined by the Government of India but shall not be less than Secretary to the Government of India.

(b) Where any person, being a retired judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as the Chairperson or Member, such Chairperson or Member shall be entitled to such pay as admissible to a Judge of the Supreme Court or a High Court depending upon the office earlier held by such Chairperson or Member.

(c) Where any person, being a retired Government servant or retired servant of any other institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as the Chairperson, a Member or Member Secretary, the salary admissible to him under these rules shall be the salary and allowances admissible to a Secretary to the Government of India, reduced by the amount of that pension and if he/she had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

(d) When the Chairperson, any Member or Member Secretary is a Member of Parliament, or a State Legislature he/she shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of Section-2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be other than the allowances, if any, which a Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

(e) In case where the clauses 5 (b) and 5 (c) above are not applicable, then the salary and allowances as are admissible to the Secretary to the Government of India shall be applicable to the Chairperson, Member and Member Secretary of the Commission.

6. Leave

The Chairperson, Member and Member Secretary shall be entitled to leave as follows:-

(a) Earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time, and
(b) Extraordinary leave shall be as admissible.

7. Medical Facilities

The medical facilities to the Chairperson, Member and the Member Secretary shall be as admissible to a Secretary to the Government of India.

8. Arrangement in case of a permanent or temporary vacancy

If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his/her office, those duties shall until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his/her office as the case may be discharged by the Member.

9. Resignation and Removal

(a) The Chairperson, Member and Member Secretary may by notice in writing under his/her hand addressed to the President, resign his/her post.
(b) The President may by order remove from office the Chairperson, Member or Member Secretary if he/she:-
 (i) is adjudged as an insolvent; or
 (ii) is engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
 (iii) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
 (iv) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion of the President, involves moral turpitude; or
 (v) refuses to act; or
 (vi) is without obtaining leave of absence from the Commission, absents from three consecutive meetings of the Commission; or
 (vii) in the opinion of the President has so abused the position of the Chairperson, or a Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the Commission:

Provided that the Chairperson, Member or Member Secretary shall not be removed until he/she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

[F.No. 16014/5/2014-BC-III]

B.L. MEENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.